

डिक्री व मुकदमें ईकादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 62/2025
बुधिष्ठर पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

- बनाम्
- 1 सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री प्रेम कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
 - 2 महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री प्रेम कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
 - 3 गीता देवी पत्नी स्व. श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
 - 4 मोहित कुमार पुत्र स्व. श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
 - 5 रोहित कुमार पुत्र स्व. श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
 - 6 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते प्रतिवादीगण इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गगन मिद्धा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तहसील संगरिया के चक 1 डी.एन.जी. के खाता सं. 56/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी के स्व. दादा प्रेम कुमार पुत्र श्री श्योकरण के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.379 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को 0.380 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर वादी के दादा स्व. प्रेम कुमार का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 58/33 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के पिता, चाची, चचेरे भाईयों प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के नाम से एवं वादी के स्व. दादा प्रेम कुमार पुत्र श्री श्योकरण के नाम से 2.908 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.727 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को 1.454 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर वादी के दादा स्व. प्रेम कुमार का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 4 बी. जी.पी. के खाता सं. 59/35 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की दादी, वादी के पिता, चाची, चचेरे भाईयों प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से एवं वादी के स्व. दादा प्रेम कुमार पुत्र श्री श्योकरण के नाम से 3.353 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.585 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को 1.170 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर वादी के दादा स्व. प्रेम कुमार का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 97/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता, चाची, चचेरे भाईयों प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के नाम से एवं वादी के स्व. दादा प्रेम कुमार पुत्र श्री श्योकरण के नाम से 1.771 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.442 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को 0.886 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर वादी के दादा स्व. प्रेम कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
निज........नल........मुद्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद
वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....26.3.2025.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया